सं 26020/01/2012 सा प्रशा
भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय
सामान्य प्रशासन अनुभाग

कमरा सं 74, उघोग भवन
नई दिल्ली 110107

दिाांक 19/04/2012

निविदा सूचना

विषय :- वर्ष 2012-2013 के लिए डी एल वाई टैक्सियों को किराए पर लेने हेतु निविदा सूचना

इस्पात मंत्रालय वर्ष 2012-2013 के लिए दैनिक भुगतान आधार पर, जब कभी आवश्यक हो, डी एल वाई वातुाकूलित/गैर वातुाकूलित कारों को किराए पर लेने का इच्छुक है । उघोग भवन के 6-7 कि.मी. के दायरे में आने वाले इच्छुक टैक्सी प्रचालक अवर सचिव (सा प्रशा), इस्पात मंत्रालय, उघोग भवन, नई दिल्ली 110107 को सम्बोधित लिफाफा जिस पर **"इस्पात मंत्रालय के लिए कारों को किराए पर लेने हेतु निविदा"** लिखा हो, **30/4/2012 को अपराहा 11.00 बजे तक** संलगन आुलगक में सील बंद निविदा प्रेषित करें। निविदा वाला लिफाफा उघोग भवन, नई दिल्ली के स्वागत अधिकारी के नजदीक रखे निविदा बॉक्स में डाला जाना जा सकता है । पत्राचार के माध्यम से प्राप्त निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा। **निविदा के साथ वेतन एवं लेखा अधिकारी, इस्पात मंत्रालय, नई दिल्ली के पक्ष में किंसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफट के रूप में 25,000/- रुपए (पच्चीस हजार रुपए मात्र) की बयाना राशि संलग्न होनी चाहिए।** मंत्रालय के पास निविदा को बिना कोई कारण बताए स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है ।

2 **इस्पात मंत्रालय द्वारा पूर्व में जारी 6/3/2012 कि निविदा को रदद कर दिया गया है तथा जिस किसी फर्म द्वारा पूर्व में निविदा डालने के लिए बैंक ड्राफट दिनांक 6 मार्च 2012 से 22 मार्च 2012 के दौरान बनवा लिया हो व पिछली निविदा के साथ प्रस्तुत किया हो को इस निविदा के लिए भी मान्य माना जाएगा उन्हें अलग से बयाना राशी का ड्राफट लगाने की आवश्यकता नही हैं ।**

3 मंत्रालय को उपलब्ध कराई जाने वाली कारें अच्छी हालत में होनी चाहिए और 2010 मॉडल के पहले की नहीं होनी चाहिए तथा किराए पर लिए जाने की तारीख को 35,000 कि मी से अधिक नहीं चली होनी चाहिए तथा उसमें समुचित गद्दियां और सहायक साज़ो-समान, स्टीरियों व फस्ट एड बाक्स आदि लगे होने चाहिए। चालक के पास वैध ड्राईविंग लाइसेंस तथा अन्य संबंधित दस्तावेज हाने चाहिए ।

4. यदि कोई फर्म किसी मंत्रालय/विभागों को पहले से ही वाहन उपलब्ध करा रही है, तो तत्संबंधी ब्यौरा पेन कार्ड की प्रति भी निविदा के साथ प्रस्तुत किए जाना चाहिए ।

5 निविदा को भेजते समय निमलिखित बालों एवं शर्तों को घ्याान में रखा जाए :-

i) किराए पर ली जाो वाली टैक्सी के मीटर तथा समय की शुरुआत की गणना तथो ~~टैक्सी~~ को छोडते समय किलोमीटर तथा समय की समाप्ति की गणणा उघोग भवन, नई दिल्ली से की जाएगी ।

ii) उद्धृत दरें निविदा अवधि के लिए वैध होंगी जिसे आगे और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने का निार्णय लिया जाता हैं ।

iii) **ये दरें अनुलग्नक 1 पर विहित प्रारुप में ही उद्‌धृत होनी चाहिए अन्यथा उस पर विचार नही किया जाएगा।**

iv) इस मंत्रालय में संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित डयूटी स्लिपों द्वारा विधिवत समर्थित बिल के प्रस्तुत करनें पर ही भुगताान किया जाएगा ।

v) चालकों को दिल्ली/नौएडा/गाजियाबाद/गुडगांव के मार्गों से पूरी तरह से परिचित होना चाहिए तथा अच्छी वर्दी पहननी चाहिए और उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए ।

vi) तैनात किए जाने वाले चालको का चरित्र समुचित रुप से सत्यापित होना चाहिए तथा उनके ब्यौरें इस मंत्रालय को उपलब्ध कराए जाने होंगे । चालक के बदले जाने के मामले में पूर्वानुमति लेना अपेक्षित होगा ।

vii) ब्रेकडाउन की स्थिति में फर्म को सूचित किए जाने पर आधे घंटे के भीतर दूसरी कार उपलब्ध करानी होगी ।

S. K. GUPTA
सुरेन्द्र कुमार गुप्ता / Under Secretary
अवर सचिव / Ministry of Steel
इस्पात मंत्रालय / Govt. of India
भारत सरकार / New Delhi
नई दिल्ली

viii) वरिष्ठ अधिकारियों के लिए मासिक आधार पर वाहना की जरुरत होगी । किसी विशिष्ट वाहनो की मासिक विशेष दर अथवा दैनिक दर पर कोई रियायत दी जाए, तो इसका उल्लेख स्पष्ट रुप से किया जाए ।

ix) फर्म का लैंडलाइा/मोबाइल नम्बर मंत्रालय को उपलब्ध कराएं ताकि उससे अथवा उसके प्रतिनिधि से किसी भी समय (24 घंटे) संपर्क किया जा सके । चालक के पास भी मोबाइल फोन होना अनिवार्य हैं ।

x) वाहन के दुर्घटाग्रस्त होने तथा किसी अन्य पक्ष को हुई क्षति की स्थिति में सारा दायित्व फर्म का होगा ।

xi) सामान्यत आपूर्ति किए जाो वाले वाहन फर्म/स्वामी/साझेदार के नाम पंजीकृत होनी चाहिए ।

xii) सफल बोली दाता से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह पांच दिनों के भीतर मंत्रालय को दी जाने वाली प्रस्तावित कारों से संबंधित पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा दस्तावेज, प्रदूषण, परमिट आदि प्रस्तुत करें ।

xiii) किसी भी समय बिना कोई कारण बताए अनुबंध को रद्द करने/वापस लेने का अधिकार मंत्रालय के पास सुरक्षित रहेगा ।

xiv) निविदा को अवर सचिव (सा प्रशा), इस्पात मंत्रालय, कमरा सं 64, उघोग भवन, नई दिल्ली **110107 में 30/04/2012 को अपराहा 11.30** बजे फर्म के मालिक/उसके प्रतिाधियों में से जो भी उपस्थित होना चाहे के समक्ष खोला जाएगा ।

(एस के गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 2306 1243
19/4/12

1. भारत सरकार, नई दिल्ली के सभी मंत्रालय/विभाग । अनुरोध है कि इस टैंडर नोटिस को अपने द्वारा इस कार्य के लिए लगाई गई फर्म के बीच पूरा प्रचार-प्रसार दिया जाए कि इच्छुक तथा शर्तो को पूरा करने वाली फर्में अपनी निविदा प्रस्तुत करें ।

2. एन आई सी, इस्पात मंत्रालय - अनुरोध है कि इसे मंत्रालय के web portal पर डालें ।

सुरेन्द्र कुमार गुप्ता/S. K. GUPTA
अवर सचिव/Under Secretary
इस्पात मंत्रालय/Ministry of Steel
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

सं 26020/01/2012-सां प्रशा.

अनुलग्नक- 1

A) Daily Charges (Minimum) in Rs.

Sl. No.	Period	Hrs.	Kms.	Tata-Indica/ Santro/ Ritz/ Esteem/ Wagon-R i-10 (AC or Non-AC)	Tata Indigo /Toyota Liva/ Hundai I20 / Swift	Maruti Suzuki Sx4 / Tata Manza/ Swift Dezire/ Toyota Itios / Hundai Verna/ Accent
1.	Full Day	10	100			
2.	Rate of extra per Km	Will be in proporation of the rate quoted above and the KMs i.e. Rate quoted /100 Kms.				
3.	Rate of extra per hrs. will be fixed			Rs. 30/-	Rs.40/-	Rs.50/-

19/4/12

सुरेन्द्र कुमार गुप्ता/S. K. GUPTA
अवर सचिव/Under Secretary
इस्पात मंत्रालय/Ministry of Steel
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi